प्रकाशन हेतु अनुमोदित

CGHC:11366-DB

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंड पीठ

पीठासीन : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपती एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा,

विविध अपील क्रमांक : 1057 / 2005

अपीलकर्ता / दावाकर्ता: 1. मंगमोटी, आयु लगभग 42 वर्ष,

दिवंगत दिल सिंह उर्फ झब्बू यादव की विधवा।

2. सहानु, आयु लगभग 13 वर्ष,

दिवंगत दिल सिंह उर्फ झब्बू यादव का पुत्र।

3. कु. सावित्री, आयु लगभग 11 वर्ष,

दिवंगत दिल सिंह उर्फ झब्बू यादव की पुत्री।

4. नारद, आयु लगभग 8 वर्ष,

दिवंगत दिल सिंह उर्फ झब्बू यादव का पुत्र।

अपीलकर्ता क्रमांक 2, 3 व 4 अवयस्क (नाबालिग) हैं,

द्वारा अपनी माता एवं प्राकृतिक अभिभावक मंगमोटी,

दिवंगत दिल सिंह उर्फ झब्बू यादव की विधवा,

आयु लगभग 42 वर्ष

5. सुकरवारी बाई, आयु लगभग 67 वर्ष,

दिवंगत नथूराम की विधवा।

सभी जाति यादव, निवासी ग्राम पिलवापाली,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डाकघर – सुखीपाली, थाना – पिथौरा,

तहसील एवं जिला – महासमुन्द (छ.ग.)।

बनाम

<u>प्रत्यर्थी / अनावेदक</u> : 1. कर्नेल सिंह, आयु लगभग 47 वर्ष,

पिता – श्री चरण सिंह, पंजाबी, व्यवसाय – ट्रक चालक,

द्वारा जसविंदर सिंह,

जसविंदर सिंह, पिता – चरण सिंह, आयु

लगभग 50 वर्ष, पंजाबी,

निवासी – ट्रांसपोर्ट नगर, टाटीबंध, रायपुर,

जिला रायपुर (छ.ग.)।

2. जसविंदर सिंह, पिता – चरण सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष, पंजाबी,

व्यवसाय – ट्रक स्वामी, निवासी – ट्रांसपोर्ट नगर, टाटीबंध, रायपुर,

जिला रायपुर (छ.ग.)

3. प्रभागीय प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड,

प्रभागीय अधिकारी, जेल रोड, कचहरी चौक, रायपुर,

जिला रायपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>विविध अपील, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत</u>

<u>उपस्थित</u> : श्री ए.एल. सिंगरौल, अपीलकर्तागण के अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

श्री दशरथ गुप्ता, उत्तरवादी क्रमांक 3 के अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक : 04 मई, 2009)

माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपती द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :

यह अपील, अपीलकर्तागण द्वारा प्रतिकर की वृद्धि के लिए प्रस्तुत की गई है, जो कि द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण, महासमुन्द (संक्षेप में "प्राधिकरण") द्वारा दावा क्रमांक 99/2003 में दिनांक 25.01.2005 को पारित प्रतिकर के विरुद्ध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अपीलकर्तागण जो कि दिवंगत दिल सिंह उर्फ झब्बू यादव की दुर्भाग्यशाली विधवा, नाबालिग संतानें तथा माता हैं, ने मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिका प्रस्तुत कर रुपये 8,00,000/- (आठ लाख) प्रतिकर की मांग की थी। उनका दावा यह था कि दिनांक 16.07.2003 को, जब दिवंगत दिल सिंह अपनी साइकिल से जा रहे थे, तभी वाहन (ट्रक) क्रमांक CG–04–G–0685 (ट्रक) ने टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी घटनास्थल पर ही तत्काल मृत्यु हो गई। अपीलकर्तागण ने आगे यह भी निवेदन किया कि दिवंगत दिल सिंह उर्फ झब्बू यादव की आयु लगभग 44 वर्ष थी तथा वह बढ़ई का कार्य कर प्रतिदिन रुपये 100/- कमाया करते थे।

3. दुर्घटनाग्रस्त वाहन (ट्रक) के स्वामी एवं चालक ने दावे का प्रतिवाद नहीं किया तथा प्राधिकरण ने उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की।

4. ट्रक के बीमाकर्ता ने दावे का प्रतिवाद किया और अपीलकर्तागण को प्रतिकर अदा करने की अपनी देयता से इंकार करते हुए यह आपत्ति उठाई कि, दुर्घटना के लिए स्वयं मृतक

जिम्मेदार था, दुर्घटनाग्रस्त वाहन (ट्रक) का चालक वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक नहीं था, तथा ट्रक का संचालन बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा था।

5. अपीलकर्तागण ने अपने दावे के समर्थन में आ.सा. –1 मंगमोटी तथा आ.सा.–2 गोविन्द शर्मा का परीक्षण कराया, जबकि ट्रक के बीमाकर्ता ने प्रत्युत्तर में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

6. प्राधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों की गहन जांच के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि दिवंगत दिल सिंह उर्फ झब्बू यादव की मृत्यु 16.07.2003 को मोटर दुर्घटना में उन्हें प्राप्त हुई चोटों के कारण हुई। यह दुर्घटना दुर्घटनाग्रस्त वाहन (ट्रक) के चालक की उतावलेपन एवं उपेक्षा में वाहन चलाने के कारण हुई थी। दुर्घटना की तिथि को उक्त वाहन (ट्रक) यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड से बीमित था, इसलिए बीमा कम्पनी अपीलकर्तागण को प्रतिकर राशि अदा करने हेतु उत्तरदायी है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. प्राधिकरण ने दिवंगत की आय रुपये 1,500/- प्रतिमाह तथा रुपये 18,000/- प्रतिवर्ष आँकी। उसमें से 1/3 (एक तिहाई) अर्थात रुपये 6,000/- मृतक के व्यक्तिगत खर्चों हेतु घटाते हुए, अपीलकर्तागण की आश्रियता रुपये 12,000/- प्रतिवर्ष आँकी गई। इस वार्षिक आश्रियता रुपये 12,000/- को गुणांक 15 से गुणा करने पर प्रतिकर राशि रुपये 1,80,000/- निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त रुपये 2,000/- अंतिम संस्कार व्यय हेतु, रुपये 5,000/- विधवा को पत्नीत्व की हानि हेतु तथा रुपये 2,500/- संपत्ति के नुकसान हेतु प्रदान किए गए। इस प्रकार प्राधिकरण ने कुल रुपये 1,89,500/- की प्रतिकर राशि, दिवंगत दिल सिंह उर्फ झब्बू यादव की मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिए, अपीलकर्तागण को प्रदान की।प्राधिकरण ने उक्त प्रतिकर राशि रुपये 1,89,500/- पर 6% वार्षिक ब्याज भी दावा प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक अदा करने का निर्देश दिया।

8. श्री ए.एल. सिंगरौल, अपीलकर्तागण के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि प्राधिकरण ने अपीलकर्तागण द्वारा मृतक की आय से संबंधित साक्ष्यों को स्वीकार न कर भूल की है। प्राधिकरण ने मृतक की आय रुपये 1,500/- प्रतिमाह व रुपये 18,000/- प्रतिवर्ष ही आँकी है, निम्न गुणांक 15 को चयनित किया है तथा केवल रुपये 1,89,500/- की अल्प प्रतिकर की राशि प्रदान की है, जो त्रुटिपूर्ण है।

9. दूसरी ओर, प्रतिवादी क्रमांक 3 – यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के अधिवक्ता श्री दशरथ गुप्ता ने प्रतिकर का समर्थन किया और यह तर्क दिया कि अपीलकर्तागण मृतक की आय रुपये 100/- प्रतिदिन के अनुसार सिद्ध करने में असफल रहे हैं, जैसा कि उन्होंने दावा किया था। अतः प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त प्रतिकर की रुपये 1,89,500/- इस प्रकरण की परिस्थितियों और तथ्यों में न्यायसंगत एवं उचित प्रतिकर है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. प्राधिकरण द्वारा दर्ज निष्कर्ष यह है कि दिवंगत दिल सिंह उर्फ झब्बू यादव की मृत्यु 16.07.2003 को मोटर दुर्घटना में प्राप्त चोटों के कारण हुई। दुर्घटनाग्रस्त वाहन (ट्रक) का चालक दुर्घटना के लिए उत्तरदायी था; तथा उक्त वाहन (ट्रक) का बीमाकर्ता दावेदारों को प्रतिकर राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी था, अब अंतिम हो चुका है क्योंकि प्रतिवादियों ने उक्त मुआवजे के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त, ये निष्कर्ष इस अपील में हमारे समक्ष विवादित भी नहीं हैं। अतः, हम प्राधिकरण द्वारा दर्ज उपर्युक्त निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

11. अब हमें यह परीक्षण करना है कि प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई रुपये 1,89,500/- की प्रतिकर राशि क्या वर्तमान वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उचित तथा न्यायोचित प्रतिकर है।

12. मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा वाद में यह महत्वपूर्ण है कि न्यायालयों/प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिकर तथ्यों एवं परिस्थितियों में उचित तथा न्यायसंगत होना चाहिए। यह न तो बहुत कम होना चाहिए और न ही अत्यधिक होना चाहिए।

13. यह सच है कि दावाकर्तागण ने यह निवेदन किया कि मृतक दिल सिंह उर्फ झब्बू यादव बढ़ई का कार्य करते थे तथा रुपये 100/- प्रतिदिन कमाते थे। किन्तु इस संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य निर्णायक प्रकृति का नहीं था। अतः हम प्राधिकरण द्वारा दावाकर्तागण के साक्ष्यों को अस्वीकार कर मृतक की आय के संबंध में उनके कथन को न मानने के दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पाते।

14. तथापि, प्राधिकरण द्वारा मृतक की आय रुपये 1,500/- प्रतिमाह तथा रुपये 18,000/- प्रतिवर्ष आँकना निश्चित रूप से निम्न स्तर पर है और पुनर्विचार योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. प्राधिकरण ने, दवाकर्तागण के द्वारा मृतक की आय संबंधी साक्ष्य को अस्वीकार करते समय, मृतक की आय का आकलन द्वितीय अनुसूची के अधीन धारा 163-क (163-A) मोटरयान अधिनियम में विनिर्दिष्ट कल्पित आय के आधार पर करना अपेक्षित था।

16. रुपये 15,000/- की कल्पित आय मोटरयान अधिनियम की धारा 163-क की द्वितीय अनुसूची में वर्ष 1994 में विनिर्दिष्ट की गई थी। वर्तमान मामले में, जिसमें मृतक दिल सिंह उर्फ झब्बू यादव की मृत्यु दुर्घटना से वर्ष 2003 में हुई। यदि 1994 से 2003 की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वृद्धि तथा जीवनयापन की लागत को ध्यान में रखा जाए, तो वर्ष 1994 में निर्धारित रुपये 15,000/- की कल्पित आय वर्ष 2003 में निश्चय ही रुपये 30,000/- हो जाती। अतः हम मृतक दिल सिंह उर्फ झब्बू यादव की आय को रुपये 30,000/- प्रतिवर्ष मानकर प्रतिकर की पुनः गणना करना प्रस्तावित करते हैं।

17. रुपये 30,000/- में से 1/3 भाग मृतक के व्यक्तिगत खर्चों हेतु घटाने पर, अपीलकर्तागण की पराश्रयता रुपये 20,000/- प्रतिवर्ष आंकी जाती है।

18. यह देखते हुए कि मृतक दिल सिंह उर्फ झब्बू यादव की आयु दुर्घटना की तिथि पर लगभग 44 वर्ष थी तथा उनकी विधवा दावाकर्ता क्रमांक 1 मंगमोटी की आयु दावा याचिका में 40 वर्ष दर्शाई गई, हम इस मत पर हैं कि वर्तमान मामले में गुणांक 12 उचित होगा। यह अभिमत उच्चतम न्यायालय द्वारा **न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉम लिमिटेड बनाम कल्पना एवं अन्य [2007 ACJ 825]** प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में है।

19. वार्षिक पराश्रयता रुपये 20,000/- को गुणांक 12 से गुणा करने पर प्रतिकर राशि रुपये 2,40,000/- होती है। दावाकर्तागण अतिरिक्त रूप से रुपये 5,000/- पाने के हकदार भी हैं, जो कि अंतिम संस्कार व्यय हेतु है; रुपये 5,000/- संपत्ति के ह्रास हेतु; तथा रुपये 5,000/- विधवा को सहजीवन की हानि के लिए पाने के अधिकारी हैं। इस प्रकार, दावाकर्तागण कुल प्रतिकर राशि रुपये 2,55,000/- पाने के हकदार बनते हैं, जो कि मृतक दिल सिंह उर्फ झब्बू यादव की दिनांक 16.07.2003 को मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिए देय है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने यह प्रस्तुत किया कि पक्षकारों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के उद्देश्य से दावाकर्ता प्रतिकर की संवर्धित राशि पर किस अवधि के लिए ब्याज पाने के अधिकारी होंगे, तथा इस संवर्धित राशि पर ब्याज की मात्रा का निर्धारण इसी अपील में किया जाए।

21. सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करते हुए, जिनमें दावा याचिका एवं वर्तमान अपील के निस्तारण में विलम्ब तथा यह तथ्य सम्मिलित है कि इस विलम्ब के लिए केवल बीमा कंपनी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, हम संवर्धित प्रतिकर राशि रुपये 65,500/- पर ब्याज की मात्रा रुपये 14,500/- के रूप में निर्धारित करते हैं।

22. उपर्युक्त कारणों से, प्रतिकर में वृद्धि के लिए अपीलकर्तागण/दावाकर्तागण द्वारा दायर अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है। प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त रुपये 1,89,500/- की प्रतिकर राशि को बढ़ाकर रुपये 2,55,000/- किया जाता है, जिसमें आगे रुपये 14,500/- ब्याज की निर्धारित राशि भी सम्मिलित होगी, जो कि रुपये 65,500/- की संवर्धित प्रतिकर राशि पर देय है।

23. प्रतिवादी क्रमांक-3 द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को तीन माह की अवधि प्रदान की जाती है ताकि वह कुल रुपये 80,000/- (अर्थात् रुपये 65,500/- संवर्धित प्रतिकर राशि के रूप में तथा रुपये 14,500/- संवर्धित प्रतिकर राशि पर ब्याज की परिमाणित राशि के रूप में) सम्बन्धित दावा प्राधिकरण के समक्ष जमा कर सके।

24. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-
मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षरित/-
सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: Adv. Astha Sharma